aea6on, as compared to the previous year according to the review, if any made by Government;

(c) what is the estimated unsold stock with the phosphatic fertiliser units and the various cooperative bodies in the States; and

(d) th$_e$ manner in which Government proposes to cope up with the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDU-AKDO FALEIRO): (a) Yes, Sir.

(b) Approximately, a 32 per cent fall as compared to the last season.

(c) and (d) The estimated unsold stocks of Di-Ammonium Phosphate with the fertiliser units and the handling agencies of imported phosphatic fertilisers as on 31-1-^3 amounted to approximately 10.11 lakh tonnes. Information ifrom all States in respect of unsold stocks of Di-Ammonium Phosphate with apex cooperative bodies is not available.

Stocks of phosphatic fertilisers began to mount on account of substantial increase in prices following decontrol leading to decline in consumption. To cushion the immediate impact of increase in prices, Government of India announced for the current Rabi season a concession of Rs. 1000 per tonne on sales to farmers of Di-Ammorium Phosphate and Muriate of Potash and correspondingly for complex fertilisers based on their phosphatic and potassic content. Maeasures have also been taken to bring down the cost of production of indigenous phosphatic units. Procurement prices of major cereals were hiked by Government to compensate farmers for the increase in input prices and to orovide incentive to use costlier fertilisers.

**मुआवजे की अदायगी के लिए भोपाल गैस पीड़ितों के मामले**

1976. **श्री सुरेश पचौरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए स्थापित किए गए आयोग द्वारा कितने मामले निपटाए गए हैं और शेष मामलों के कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार द्वारा नियुक्त की गई सभी दावा-अदालतें कार्य कर रही है; और

(ग) क्या सरकार भोपाल गैस पीड़ितों की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए मार्च, 1993 को अंतरिम राहत की अवधि समाप्त होने पर इस व्यवस्था को जारी रखने का विचार रखती है,

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो) :** (क) और (ख) कल्याण आयुक्त के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21.2.1993 तक अधिनिर्णित मामलों की संख्या 2042 थी। अधिनिर्णय की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है और सरकार के लिए यह बताना संभव नहीं है कि कब तक सभी मामलों को निपटाये जाने की संभावना है। सरकार द्वारा स्वीकृत 40 न्यायालयों में से उपायुक्तों के 29 न्यायालय कम कर रहे हैं।

(ग) भोपाल गैस पीड़ितों को अन्तरिम सहायता मंजूर की गई थी क्योंकि पीड़ितों को राहत के भुगतान में सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 14/15.2.89 के निपटान आदेश की सभी के परिणामस्वरूप देरी हो रही थी। पुनरीक्षा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3.10.91 को निपटाई गई थी।

**भोपाल गैस पीड़ितों के संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का प्रतिवेदन**

1977. **श्री सुरेश पचौरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस पीड़ितों के संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 1986 में प्रकाशित हुए प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है; और